अनुबंध 1 : राज्य बज़ट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
1. आंध्र प्रदेश	• राजीव युवा शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। • 2008-09 के दौरान इंदिरा अम्मा फेज़-III कार्यक्रम का प्रारंभ। • उन बच्चों को जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, चाहे उनकी जाति/धर्म/क्षेत्र जो भी हो, को छात्रवृत्ति प्रदान करके सहायता करने की योजना। • भारत सरकार के सहयोग से सक्सेस (स्कीम फार युनिवर्सल एक्सेस एण्ड क्वालिटी एट सेकेंडरी स्टेज एजूकेशन) नामक नई योजना का कार्यान्वयन। • 5000 चुनिंदा हाई स्कूलों और जूनियर कालेजों में सभी छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के कार्यक्रम का कार्यान्वयन।	• पशुधन संवर्धन की दक्षता बढ़ाने के लिए पशुधन संबंधी आधुनिक अनुसंधान हेतु एक विश्व स्तरीय केंद्र की स्थापना। • जिलों की 12.20 लाख एकड़ असिंचित भूमि को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए "प्राणहित-चेवल्ला" बृहद परियोजना। • फेज़-III के अंतर्गत और जिलों के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना उपलब्ध कराना।	–	–
2. अरुणाचल प्रदेश	• कक्षा नौ से बारहवीं तक के अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। • अनुसूचित जाति के सभी छात्रों को वज़ीफे की राशि बढ़ाना। • नये शुरू किये गये कालेजों में कक्षाओं, शिक्षक आवास, संपर्क मार्ग तथा पुस्तकालय भवन के निर्माण हेतु पर्याप्त अनुदान उपलब्ध कराना।	• एक समन्वित मास्टर प्लान बनाना जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन सभी श्रेणियों के मार्गों का विकास किया जाएगा। • मत्स्य संवधर्न तथा मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों को सुदृढ़ बनाने तथा युवाओं को स्वतंत्र रूप से आय कमाने के काम में लगाना। • पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बुनियादी	–	• जेंडर बज़ट की शुरुआत। • नाबार्ड और बैंकिंग प्रणाली की तकनीकी सहायता से महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के संवर्धन को विशेष प्रोत्साहन देना; अगले तीन वर्षों में 5,000 स्वयं सहायता समूहों का संवर्धन; जिसमें से 1,500स्वयं सहायता समूहों को 2008-09 के दौरान बढ़ावा दिया जाएगा।

अनुबंध 1 : राज्य बज़ट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	• संघ लोग सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए योग्य उम्मीदवारों को शिक्षण एवं अध्ययन सामग्री हेतु वित्तीय सहायता बढ़ाना। • खेल-कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विकास हेतु निधीयन बढ़ाना। • पूरे राज्य में जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा उप-केंद्रों का समेकन। • किशोरों का पुनर्वास, विकलांग व्यक्तियों, पोषण कार्यक्रम का कार्यान्वयन तथा अरुणाचल प्रदेश समाज कल्याण परामर्श बोर्ड को वित्तीय सहायता पर विशेष ध्यान। • महिलाओं और बच्चों के विकास तथा सुरक्षा को प्राथमिकता देना।	सुविधाओं का निर्माण करना। • खानों और खनिजों के सर्वेक्षण और दोहन के लिए सरकारी निजी सहभागिता(पीपीपी) के आधार पर परियोजनाएं प्रारंभ करने के लिए निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करना।		
3. असम	• पर्वतीय क्षेत्रों में नर्सिंग कालेज की स्थापना करना। • बोडो लैण्ड क्षेत्रीय परिषद क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करना। • मरान, मटक, अहोम, सुतिया, कोचराजबंशी और चाय बागानों में काम करने वाले मूल जनजाति समूह के लिए छह नयी विकास परिषदें स्थापित करना। • गोरखा विकास परिषद स्थापित करने का प्रस्ताव।	• मायक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के अंतर्गत व्यवहार्य उद्योग इकाईयों के पुनर्वास हेतु एक विशेष पैकेज प्रारंभ करना। • एक समर्पित वन सुरक्षा बल बनाकर वन एवं वन्य जीव सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ बनाना। • सौर प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से 2009 तक सभी 2,139 सुदूर ग्रामों को बिजली पहुंचा कर सौर उर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना।	• राज्य में प्रमुख बुनियादी संरचना परियोजनाओं के सृजन हेतु एक समर्पित निधि बनाना। यह मूल निधि बनाई जानेवाली एक संस्था यथा असम इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनांसिंग अथॉरिटी के अधिकार में रखी जाएगी। 105 करोड़ रुपए की राशि जो भारत सरकार से ऋण माफी के रूप में प्राप्त हुई है, इस मूल निधि के सृजन हेतु इस संस्था को अंतरित कर दी जाएगी।	• स्वयं सहायता समूहों को जोर शोर से आगे बढ़ाने के लिए रियायती ब्याज दर पर स्वयं सहायता समूहों के मायक्रो वित्तपोषण हेतु असम वित्त निगम को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना। • उत्तर गुवाहाटी में एक जैव-प्रौद्योगिकी पार्क बनाना। • 2008-09 से जेंडर बजट बनाना प्रारंभ करना।

अनुबंध 1 : राज्य बज़ट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(ज़ारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	• अल्पसंख्यक संगठनों के प्रतिनिधियों से पर्याप्त परामर्श करने के बाद अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक विशेष कार्यक्रम प्रारंभ करना। • सिविल सेवाएं, रक्षा सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं और ऐसी अन्य सेवाएं जिन के लिए चयन राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से किया जाता है, में भर्ती के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता हेतु राज्य के शिक्षित युवकों के लिए शिक्षण सुविधाएं प्रारंभ करना। • धुबरी में एक कृषि महाविद्यालय तथा बरक घाटी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करना। • आंध्र प्रदेश की आरोग्य योजना के अनुरूप राज्य के गरीब मरीजों के लिए एक नयी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ करना। • गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशालिटी यूनिट स्थापित करना। • वर्तमान में आठ जिलों की तुलना में सभी 27 जिलों में मोबाईल मेडिकल यूनिटों की स्थापना की गयी।		• अगले वित्त वर्ष से गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ) की स्थापना करना। • अगला राज्य वेतन आयोग गठित करना तथा सभी सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2008 से मूल वेतन और मूल पेंशन के 10 प्रतिशत की अंतरिम राहत प्रदान करना। • एक लाख अथवा उससे अधिक मालियत वाली अचल संपत्ति के पंजीकरण हेतु स्टॉम्प शुल्क की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत करना। महिला खरीदारों के मामले में यह स्टॉम्प शुल्क 5 प्रतिशत लगाया जाएगा। • इक्विटी के रूप में 5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराकर असम वित्त निगम का पूंजी आधार सुदृढ़ बनाना। • 31 मार्च 2008 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृत किये गये 20,000 हजार रुपए तक के सभी फसल ऋणों हेतु 2 प्रतिशत की ब्याज राहत प्रदान करने की योजना जारी रखना।	
4. बिहार	• मछुआरों के लिए 'जनश्री बीमा योजना' प्रारंभ करना, जिसके अंतर्गत बीमित व्यक्ति की दुघर्टना में मृत्यु होने पर	• प्रत्येक मंडल में एक "सीड ग्राम" और "बायो ग्राम" की स्थापना करना ताकि राज्य को बीजों और उर्वरक में आत्म-निर्भर बनाया जा सके।	• निविदा प्रक्रिया में गति लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया प्रारंभ करना।	• स्टेट मिशन मोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत ई-हेल्थ, ई-म्युनिसिपैलिटीज़, ई-पंचायत और ई-एग्रीकल्चर प्रारंभ करना।

अनुबंध 1 : राज्य बज़ट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	आश्रितों को 75,000 रुपए और स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति 30,000 रुपए मिलेंगे। ● 50 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) की स्थापना करना और 15 पुराने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की इकाइयों का विस्तार करना। ● प्राथमिक स्कूलों में अल्पसंख्यक समुदाय के सभी छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराना।	● कृषि अनुसंधान और विकास की गुणवत्ता सुधारने के लिए सहरसा में कृषि महाविद्यालय की स्थापना। ● राज्य में एक नॉलेज सिटी की स्थापना की शुरुआत जिसके अंतर्गत एक आइटी पार्क और एक आइटी अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव है ताकि युवाओं को आइटी से संबंधित विषयों में प्रशिक्षित किया जा सके। ● पशु अस्पतालों में उप मंडल स्तर पर 100 पैथोलोजिकल लैबोरेटरियां स्थापित करना। ● राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत दरभंगा जिले में मछली विपणन संकुल का निर्माण। ● ग्रामीण सड़कों के विकास हेतु आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इक्विपमेंट बैंक। ● प्रत्येक पंचायत के लिए एक कृषि परामर्शदाता की नियुक्ति। ● बागमती सिंचाई परियोजना तथा गंडक सिंचाई परियोजना का विस्तार। ● सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियंत्रण परामर्शदाता की नियुक्ति। ● सड़क विकास के कारगर पर्यवेक्षण के लिए ज्योग्राफिक इन्फर्मेशन सिस्टम (जीआइएस) प्रबंध प्रणाली और ऑनलाईन पर्यवेक्षण।	● वाणिज्यिक कर विभाग का कम्प्यूटरीकरण।	● सभी जिलों और मंडल हेडक्वार्टरों को संचार नेट वर्क प्रदान करने के लिए राज्य व्यापी एरिया नेट वर्क स्थापित करना। ● सामान्य जन को सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक पंचायत में सामान्य सेवा केंद्र की स्थापना। ● सरकारी खरीद प्रकिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी विभागों में ई-सरकारी खरीद प्रणाली प्रारंभ करना। ● विदेश में नौकरी पाने में सहायता देने के लिए ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो की स्थापना करना। ● रोजगार गांरटी योजना के पर्यवेक्षण को कारगर बनाने के लिए सभी पंचायतों में 'रोजगार सेवक' नियुक्त करना। ● प्रायोगिक परियोजना आधार पर रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी की अदायगी हेतु बायोमेट्रिक प्रणाली शुरू करना।

अनुबंध 1 : राज्य बज़ट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
5. छत्तीसगढ़	• खाद्यान्न सुरक्षा योजना की व्याप्ति बढ़ाना जिसके अंतर्गत 34 लाख परिवारों को 3 रुपए प्रति किलो की दर से चावल मिलेगा। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के बीच कुपोषण तथा रक्ताल्पता के वर्तमान स्तर की स्थिति बेहतर बनाने की दिशा में खाद्यान्न सुरक्षा योजना एक महत्वपूर्ण कदम था। • 312 प्री-सेकेंडरी स्कूलों को प्रोन्नत करके हायस्कूल बनाना तथा 218 हायस्कूलों को प्रोन्नत करके हायर सेकेंडरी स्कूल बनाना। • 8 आदिवासी क्षेत्रों में नये सरकारी कॉलेज प्रारंभ करना। • एक नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआइ) प्रारंभ करना और 7 नये पॉलिटेक्निक खोलना • आठ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को " उत्कृष्टता केंद्र" (सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स) के रूप में प्रोन्नत करना। • 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 22 सेकेंडरी हेल्थ सेंटरों का निर्माण। • बेहतर नर्सिंग सुविधाएं उपलब्ध प्रदान कराने के लिए कांकरे, कोरिया और महासमुंद में नर्सिंग स्कूल खोलना तथा जगदलपुर और बिलासपुर में नर्सिंग कॉलेज प्रारंभ करना।	• बीजों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक संकर बीज उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना। • पशुपालन हेतु बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 26 नये पशु चिकित्सा केंद्रों की स्थापना करना।	–	• जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने तथा पारदर्शिता की शुरुआत करने के लिए सार्वजनिक वितरण की दुकानों का कम्प्यूटरीकरण। • विभिन्न विकास योजनाओं में महिलाओं का सशक्तीकरण तथा सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए 14 विभागों में "जेंडर बजट" प्रारंभ करना।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	• चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए रायगढ़ में एक नया मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करना। • अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति परिवारों, विशेषकर आदिम जनजाति समूहों को मकान उपलब्ध कराने की योजना। • प्रायोगिक परियोजना आधार पर बीजापुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और नारायणपुर के घनी आबादी वाले अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए स्व-रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शक्ति स्वरूपा योजना प्रारंभ की गयी।			
6. गोवा	• अपात्र हिताधिकारियों को निकाल बाहर करने के लिए दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत सभी मामलों की समीक्षा करना। निर्धनों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाने के लिए क्रीमी लेयर अर्थात प्रति परिवार 6 लाख रुपए वार्षिक की अवधारणा को सभी क्षेत्रों और योजनाओं में लागू करना। • वलपोई में एक अधुनातन उत्कृष्टता केंद्र प्रारंभ करना। • दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत शामिल विकलांग बच्चों को सहायता का स्तर बढ़ाना। इस योजना के	• रूफ-टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देना और रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं के निर्माण हेतु सब्सिडी देना। • राज्य में व्यापक वन रोपण कार्यक्रम चलाना। • फार्मा,काजू प्रसंस्करण और आभूषण के क्षेत्रों में गोवा के उद्योगों हेतु समूह केंद्रों की विकास योजना प्रारंभ करना। • कृषि, पशुपालन और मत्स्यपालन क्षेत्रों में निवेश में तेजी लाने के उद्देश्य से किसानों को 4 प्रतिशत ब्याज की दर पर 5 लाख रुपए तक के ऋण उपलब्ध कराना। बैंकों द्वारा प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर का	• सीसीएस (पेंशन) विनियामवली, 1972 के अंतर्गत कवर किये गये कर्मचारियों के लिए पेंशन देयता निधि गठित करना। • कर प्रशासन और वसूली को सुदृढ़ बनाकर राजस्व वसूली बढ़ाना तथा वाणिज्यिक कर विभाग और उत्पाद शुल्क विभाग दोनों को ओवरहाल और पुनर्व्यवस्थित करना। • गोवा से बाहर पंजीकृत वाहनों (माल वाहक वाहनों को छोड़कर) पर 100 रुपए प्रति वाहन का प्रवेश कर लगाना। • सभी छोटे उद्यमियों जिन्होंने आर्थिक विकास	–

अनुबंध 1 : राज्य बज़ट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	अंतर्गत एचआईवी एड्स के मरीजों को इसके दायरे में लेना। ● स्कूलों में कम्प्यूटर समर्थित शिक्षा को बढ़ावा देना और आवश्यक हार्डवेयर, साफ्टवेयर और संबद्ध बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। ● गैर सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को दी जानेवाली बुनियादी संरचना ऋण योजना के अंतर्गत और स्कूलों को कवर करना। ● कक्षा V से X तक सभी विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन योजना लागू करना। ● गोवा विश्वविद्यालय को प्रोन्नत करके उसका स्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्तर पर ले जाना। ● महिला मंडलों के माध्यम से विभिन्न ट्रेडों के बारे में प्रशिक्षण देने की एक नयी योजना प्रारंभ करना। ● राज्य में डे-केयर सेंटरों की स्थापना करने और पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक उचित योजना तैयार करना। ● राज्य की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में बुनियादी संरचना और सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर बनाना। ● मारगाव में 450 बिस्तरों वाले एक नये अस्पताल का निर्माण करना।	अंतर सरकार द्वारा बैंकों को सब्सिडी के रूप में अदा किया जायेगा। ● मशीनरी और विशेष काम करने वाले मजदूरों सहित कुशल कृषि सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ग्राम कृषि सेवा समितियों को बढ़ावा देना। ऐसी पंजीकृत समितियों के लिए ली गयी मशीनरी पर 50 प्रतिशत की सीमा तक सब्सिडी उपलब्ध कराना और उन्हें लागत के शेष 50 प्रतिशत के लिए 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर बैंक ऋण लेने की अनुमति देना। अकेले किसानों को भी 50 प्रतिशत की मौजूदा सब्सिडी के अलावा उन्हें बैंकों से 4 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर लागत के शेष 50 प्रतिशत के लिए बैंकों से ऋण लेने की अनुमति प्रदान करना। ● औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों में प्लाटों के आबंटन हेतु महिलाओं को प्राथमिकता देना। महिला उद्यमियों द्वारा उद्योगों की स्थापना हेतु उचित सब्सिडी घटक के साथ विशेष योजना बनाना।	निगम से 10 लाख रुपए और उससे कम ऋण लिया है तथा उन सभी अन्य पार्टियों जिनकी मूल सुरक्षा निधि पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, के लिए एक बारगी निपटान योजना। ● कृषि विभाग के माध्यम से किसानों द्वारा लिये गये सभी ऋण, पंचायत महानिदेशालय की ग्रामीण आवास ऋण योजना, राजीव आवास योजना सहित समाज कल्याण महानिदेशालय की आवास योजना के अंतर्गत लिये गये आवास ऋण तथा 31 मार्च 2007 तक पंचायत महानिदेशालय द्वारा लाभकारी योजनाओं के अंतर्गत पंचायतों को दिये गये ऋण माफ करना।	

अनुबंध 1 : राज्य बज़ट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
7. गुजरात	● "स्कोप" कार्यक्रम के अंतर्गत 15 साल से 35 वर्ष के आय समूह वाले युवाओं को अंग्रेजी का प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। ● राज्य में 203 सेकेंडरी और 222 हायर सेकेंडरी स्कूल खोलना। ● इंजीनियरिंग, फार्मेसी और आर्कीटेक्चर के अंतर्गत स्नातक और डिप्लोमा स्तर पर सीटें बढ़ाना। ● 100 पालीटेक्निक एक्सटेंन्सशन सेंटरों की स्थापना करना। ● राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में 10 नये कॉलेज स्थापित करना। ● स्वास्थ्य संस्थाओं की बुनियादी संरचना के निर्माण, मरम्मत तथा रखरखाव में उत्कृष्टता का स्तर बनाए रखने के लिए गुजरात राज्य स्वास्थ्य बुनियादी संरचना विकास निगम स्थापित करना। ● "बाल गोकुलम" नामक संस्था प्रारंभ करना जो बाद में "बाल विश्वविद्यालय" में बदल दी जायेगी। ● गोधरा में नया कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय तथा दाहोद में कृषि अभियांत्रिकी पॉलीटेक्निक स्थापित करना।	● खेती की ऐसी आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धतियां विकसित करना जो उत्पादन की लागत कम करती हैं। ● पीपीपी के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए एक नयी योजना तैयार करना। ● ग्रामों को ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ना ताकि वे आधुनिक विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकें।	● व्यवसाय कर लगाने, वसूल करने और उसे अपने पास बनाए रखने के लिए स्थानीय निकायों को शक्तियों का प्रत्यायोजन। ● राज्य में वस्तुओं की बिक्री पर मौजूदा मूल्य वर्धित कर (वैट) के अलावा अतिरिक्त कर लगाना। वर्तमान समय में मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अंतर्गत रुपए में चार पैसे की दर से जिन मालों पर कर लगाया जा रहा है उन पर रुपए पर एक पैसे की दर से अतिरिक्त कर लगाया जाएगा। इसी प्रकार, कर योग्य अन्य मालों पर मौजूदा कर दरों में रुपए में 2.5 पैसे के हिसाब से अतिरिक्त कर लगाया जाएगा। यह अतिरिक्त कर पेट्रोल, डीज़ल, घोषित माल, कर छूट प्राप्त माल आदि पर नहीं लागू होगा।	● असंगठित क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए एक अलग नीति तैयार करना।

अनुबंध 1 : राज्य बज़ट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	• मछुआरों के लिए लागू की गयी समूह बीमा योजना की बीमा सुरक्षा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए करना। • समस्त राज्य में वर्ष 2010 तक "विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम" कार्यान्वित करना।			
8. हरियाणा	• पीजीआइ रोहतक में एक स्वास्थ्य विश्व विद्यालय स्थापित करना। • पंजीकृत बेरोजगार विज्ञान स्नातकों और परास्नातकों को बेरोजगारी भत्ता 50 प्रतिशत अधिक देना। • अपना मकान बनाने के लिए अनुसूचित जाति के सदस्यों को रियायती ब्याज दर पर ऋण देने की नयी योजना प्रारंभ करना। • अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता होने की स्थिति में राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के अंतर्गत 18-60 वर्ष की आय समूह के सभी पात्र लोगों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना। • नयी योजना अर्थात "स्कूल न जाने वाले विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता योजना" प्रारंभ करना जिसमें 40 प्रतिशत से अधिक की विकलांगता वाले 6 से 18 वर्ष की आय समूह के	–	• भूमि और संपत्ति की बिक्री पर स्टाम्प शुल्क की दर घटाकर शहरी क्षेत्रों में 7 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 प्रतिशत करना। महिलाओं के लिए 2 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी।	–

अनुबंध 1 : राज्य बज़ट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	बच्चों को वित्तीय सहायता दी जायेगी। ● हरियाणा के सभी अर्बन इस्टेटों में वृद्ध व्यक्तियों के लिए डे केयर सेंटरों की स्थापना।			
9. हिमाचल प्रदेश	● राज्य के बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु एक विशेष योजना तैयार करना। ● शिक्षकों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से करीब 18,000 पदों को भरना। ● सभी जिला प्रयोगशालाओं और सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में ब्रॉड बैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ कम्प्यूटर लैब स्थापित करना। ● डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए संबद्ध संस्थाओं में 250 डॉक्टरों की नियुक्ति करना। आदिवासी और कठिन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देना। इसी प्रकार, नर्सों और अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ के 1000 पदों को भरना। पीपीपी के उचित स्वरूप के साथ मण्डी, ऊना और हमीरपुर जिले में 3 और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना। ● निर्धनता की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ करना जिसमें इन गरीब	● कृषि विभाग किसानों को एक लाख मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला है। ● प्रत्येक जिले के शुद्ध बुवाई क्षेत्र, पहले ही बनाई गयी सिचाई क्षमता तथा चरणबद्ध निवेश को ध्यान में रखते हुए पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय तथा ग्रामीण विभाग के सौजन्य से व्यापक जिला कृषि एवं सिंचाई योजनाएं बनाना जो अगले पांच वर्षों के भीतर कृषि भूमि के सिंचित क्षेत्र को दुगुना कर देंगी। ● सिंचाई परियोजनाओं को स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई की दिशा में पुनः अभिमुख करना। ● फल, बे-मौसमी सब्जी और औषधीय पौधों सहित ऊंचे मूल्यों वाली फसलें उगाने के लिए खेती की पद्धतियों का इष्टतम उपयोग करना किसानों को बताने के लिए मिट्टी परीक्षण को प्राथमिकता देना। ● दूध की सरकारी खरीद का मूल्य 2 रुपए प्रति लिटर बढ़ाना । ● विपणन बोर्ड सुविधाजनक बाजार स्थलों की स्थापना सरल बनाएगा जो बड़े	● संसाधन संग्रहण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए संबंधित राजस्व वसूली विभागों को उनके द्वारा अगले वित्त वर्ष के लिए उनके बज़ट लक्ष्यों के अलावा की गयी अतिरिक्त वसूलियों का एक प्रतिशत प्रोत्साहन के रूप में प्रदान करना। यह प्रोत्साहन राशि संबंधित विभागों द्वारा उनकी बुनियादी संरचना आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उपयोग में लायी जाएगी।	● वाहनों की पार्किंग के लिए स्थान सहित और वाणिज्यिक स्थानों के निर्माण हेतु शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को प्रोत्साहित करना ताकि ऐसे वाणिज्यिक स्थानों को पट्टे पर देनी तथा किराये से वे अपने संसाधन आधार बढ़ा सकें। एक नयी योजना चलाना जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक संकुलों तथा पार्किंग स्थलों के निर्माण हेतु 50 प्रतिशत निधियां राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और शेष 50 प्रतिशत संबंधित स्थानीय निकायों को वहन करना होगा। ऐसी संपत्तियों से अर्जित आय संबद्ध स्थानीय निकायों को जाएगी। ● अगले वर्ष के भीतर ही सभी पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान करना। ● पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभी श्रेणियों के लिए मानदेय में वृद्धि।

अनुबंध 1 : राज्य बज़ट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	परिवारों को कोई भी व्यय नहीं करना पड़ेगा। ● बुनकरों के लिए एक विशेष बीमा योजना प्रारंभ करना। ● अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के गरीब विद्यार्थी के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्तियां।	खरीदारों को आकर्षित कर सकते हैं। ● निजी क्षेत्र में आधुनातन कोल्ड स्टोरेज की स्थापना सुसाध्य बनाना। ● ज्यादा सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) उद्योगों को आकर्षित करने के लिए स्पर्धात्मक नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से आइटी पार्क एवं टाऊनशिप का निर्माण।		● ऊर्जा का एक नया महानिदेशालय सृजित करना।
10. जम्मू और कश्मीर	● दस्तकारों और शिल्पकारों के लिए स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना प्रारंभ करना।	● नयी औद्योगिक इकाईयों को कार्यशील पूंजी पर दी गयी 3 प्रतिशत सब्सिडी दो वर्ष की अवधि के लिए मौजूदा इकाईयों पर भी लागू होगी।	● राज्य बीमा निधि की उच्चतम सीमा में वृद्धि तथा न्यूनतम मासिक अभिदान वेतन अथवा अनुमानित वेतन के 6.25 प्रतिशत से बढ़ाकर महंगाई भत्तों सहित वेतन का 8.33 प्रतिशत करना। ● स्टाम्पों का वैज्ञानिक प्रबंधन करने के उद्देश्य से स्टाम्पों के लिए डीमैट की शुरूआत करना। ● उन उद्यमों पर भविष्य निधि अधिनियम लागू करना जिनके यहां 10 और उससे अधिक श्रमिक नियोजित हैं। वर्तमान में यह उन पर लागू होता है जहां 5 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं।	● केंद्रीयकृत रूप से प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत व्यय दिये जाने की बारंबारता और गुणवत्ता की संवीक्षा, समीक्षा और संशोधन करने के उद्देश्य से 'पर्यवेक्षण और निगरानी समिति' के रूप में एक संस्थागत व्यवस्था कायम करना जो इन कार्यक्रमों की निगरानी करेगी।
11. झारखंड	● बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर घटाने के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करना। ● राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय की तर्ज पर "झारखंड खुला विद्यालय" स्थापित करना। ● उपग्रह कनेक्शनों की सहायता से प्रशिक्षित	● दूध संग्रह करने तथा निविष्टियों के भंडारण हेतु बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए "गोकुल ग्राम विकास" योजना प्रारंभ करना। ● राष्ट्रीय बागवानी मिशन को पांच और जिलों में फैलाना।	–	● झारखंड को जैव राज्य के रूप में विकसित करने के लिए जैव ग्राम का गठन करना। ● पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत सभी जिलों की डिजिटल मैपिंग करना।

अनुबंध 1 : राज्य बज़ट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	संकाय से दू:रस्थ ग्रामों के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को उत्तम शिक्षा प्रदान करना। ● विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच बेहतर समन्वय के लिए "अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड" गठित करना। ● सरकारी क्षेत्र के 12 नये पॉलिटेक्निक संस्थान और 2 इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना करना। ● रांची में राज्य श्रम संस्थान स्थापित करना।	● राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे को विकासित करने के लिए एक सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करना। ● दुग्धोत्पादन प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी महाविद्यालय तथा पशुसंवर्धन एवं मत्स्यपालन अनुसंधान संस्थान स्थापित करना।		
12. कर्नाटक	● वर्ष 1993 और 94 में प्रारंभ किये गये निजी हायस्कूलों को सहायता अनुदान के लिए शामिल करना। ● 37 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) का कोटि उन्नयन करना। ● उन 9 तालुकों में औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना जहां कोई भी औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान नहीं है। ● गरीब परिवारों के महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए 6 प्रतिशत की वार्षिक दर पर उच्च शिक्षा ब्याज सब्सिडी की सुविधा देना। ● प्रमुख शहरों को छोड़कर राज्य के सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा आठ में पढ़ने वाले सभी बच्चों को साईकिलें देना।	● बीज, उर्वरक और खेती के औजार खरीदने के लिए एक विशेष उपाय के रूप में उन लघु एवं सीमांत किसानों के प्रत्येक परिवार को जो पूरी तरह से सूखी भूमि वाली खेती पर निर्भर हैं, 1,000 रुपए प्रदान करना। ● किसानों, बुनकरों और मछुआरों को 3 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर सहकारी समितियों से ऋण दिया जाएगा। ● राज्य में बेहतर जल संसाधन प्रबंध एवं नियंत्रण सुसाध्य बनाने के लिए कर्नाटक जल संसाधन नियंत्रण प्राधिकरण स्थापित करना। ● रायचूर में एक कृषि विश्वविद्यालय तथा बागबानी पर जोर के साथ एक कृषि विश्वविद्यालय बागलकोट में स्थापित करना।	–	● भूजल संसाधनों के बेहतर प्रबंध के लिए उचित कानूनी ढांचा तैयार करना। ● ग्राम पंचायतों के 90,000 सदस्यों को मानदेय की मासिक अदायगी। ● प्रत्येक ग्राम पंचायत को दी जानेवाली मुक्त सहायता 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए करना। ● प्रतियोगी प्रक्रिया के माध्यम से कीमती सरकारी भूमी बेचकर अथवा पट्टे पर देकर विकास के लिए संसाधन जुटाने हेतु 'कर्नाटक पब्लिक लैंड्स कार्पोरेशन' नामक नया उपक्रम स्थापित करना। ● पश्चिमी घाटों के पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं के संरक्षण हेतु एक

अनुबंध 1 : राज्य बज़ट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	• दस लाख नौकरियां पैदा करना सुगम बनाने के लिए युवाओं का कौशल बेहतर करने हेतु 'कौशल आयोग' स्थापित करना। • उच्च शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए 'कर्नाटक ज्ञान एवं उच्च शिक्षा आयोग' गठित करना। • प्रत्येक तालुका में उपकरणों से पूरी तरह से सुसज्जित एम्बुलेन्सों की सहायता से आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। पीपीपी के अंतर्गत 'आरोग्य कवच' योजना प्रारंभ की जाएगी। • भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बालिका को दी जानेवाली वित्तीय सहायता बढ़ाकर 1 लाख रुपए करना। • बच्चों के समन्वित विकास एवं कल्याण हेतु 'राज्य बाल विकास अकादमी' स्थापित करना।	• कृषि और संबद्ध गतिविधियों के विस्तृत विकास हेतु कर्नाटक कृषि मिशन स्थापित करना। • पीपीपी मॉडल पर कारवार बंदरगाह विकसित करना। • कर्नाटक समुद्री बोर्ड स्थापित करना। • सभी जिलों को वायु मार्ग से जोड़ना। • सिले-सिलाए कपड़ों पर अधिक फोख के साथ नई वस्त्र नीति तैयार की जाएगी। • नयी औद्योगिक नीति तैयार करना। • राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर स्टील, सीमेंट और वस्त्रोद्योग के लिए अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्र बनाना। • किसानों के सिंचाई पंप सेटों के लिए मुफ्त बिजली देना। • कम से कम 1000 ग्रामों में जैव-खाद के उत्पादन तथा जैव खेती की पद्धतियों को कि सानों द्वारा अपनाने को बढ़ावा देना। उन परिवारों को 2000 रुपए की सहायता देना जो जैव खेती को अपनाएंगे। • कीमतें गिरने पर बाजार में हस्तक्षेप करना। 500 करोड़ रुपए की चक्रीय निधि का उपयोग करके लाभकारी कीमतें सुनिश्चित करना। • किसानों द्वारा दुग्ध सहकारी समितियों को दूध बेचने पर 2 रुपए प्रति लिटर का नकद प्रोत्साहन देना।		विशेष कार्यबल गठित करना। • सभी ग्राम पंचायतों में सायबर केंद्रों की स्थापना। • स्वयं सहायता समूहों को 6 प्रतिशत की ब्याज दर पर वित्तीय सहायता मिलेगी।

अनुबंध 1 : राज्य बज़ट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(ज़ारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
13. केरल	• निर्धनता की रेखा के नीचे रहने वाले वृद्ध व्यक्तियों को 250 रुपए की दर से पेंशन देना। • निर्धनता की रेखा के नीचे रहने वाले सभी परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ करना। • कोलम और अपाप्पुझा जिले में प्रयोगिक आधार पर एक योजना प्रारंभ की जाएगी जो 'केरल विस्तृत स्वास्थ्य बीमा योजना' कहलाएगी। • राज्य में किसानों के लिए एक कल्याण निधि सृजित करना। • कृषि क्षेत्र में प्राण फूंकने के एक कार्यक्रम के रूप में राज्य स्तर पर राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम कार्यान्वित करना। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम के सहयोग से समन्वित वाटरशेड विकास कार्यकम कार्यान्वित करना। इस परिवर्तन के माध्यम से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों की निजी जमीनों में मिट्टी और जल संरक्षण भी प्रारंभ किया जा सकता है। • 1000 सब्जी गांवों की स्थापना करके 'हरित श्री' कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाना। • मछली पकड़नेवाली नावों, साधनों और मछुआरों को कवर करनेवाले एक विस्तृत	• कृषि उपजों की स्थिरता के लिए एक मूल्य स्थिरता योजना कार्यान्वित करना। कृषि उत्पादों की खरीद के लिए बनी अन्य निधियां इस निधि के साथ जोड़ दी जाएंगी। • गैर पारंपारिक ऊर्जा उत्पाद पार्क स्थापित करना। • केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के नवीकरण और पुनर्संरचना हेतु एक पैकेज कार्यान्वित करना। • सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के आधुनिकीकरण तथा पुनर्संरचना का कार्य प्रारंभ करना।	• असंगठित क्षेत्रों, सभी क्षेत्रों जैसेकि मत्स्यपालन, कॉयर, काजू, हथकरघा, भवन निर्माण,कृषि मजदूर, आदि में काम करनेवाले लगभग एक मिलियन मजदूरों की पेंशन बढ़ाकर 200 रुपए प्रति माह करना। • वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा वसूले जानेवाले सभी करों के बकाया को निपटाने के लिए माफी योजना तैयार करना। • बिक्री कर और वैट पर एक प्रतिशत अधिभार लगाना।	• वाणिज्यिक तर्ज पर बीमा विभाग की पूरी तरह से पुर्नसंरचना करना। • क्षेत्र के पिछड़ेपन और विकास की संभावनाओं पर विचार करते हुए केरल के उत्तरी क्षेत्र हेतु एक विशेष पैकेज तैयार करना। • भारत सरकार के औद्योगिक वित्त एवं पुनर्संरचना ब्यूरो की तर्ज पर एक संस्था स्थापित करना। • केरल फिनांन्स कार्पोरेशन की अनर्जक आस्तियों को इसकी कुल आस्तियों के 55 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत तक लाने और बाद में और घटाकर 10 प्रतिशत तक ले जाने के लिए शेयर पूंजी में वृद्धि के माध्यम से एक बारगी निपटान। • केरल स्टेट फिनांशियल एंटरप्रायजेस की शेयर पूंजी के आधार का विस्तार करना। • केरल वाटर अथॉरिटी के तुलनपत्र को साफ सुथरा बनाकर इसके लिए बनाकर एक विस्तृत पुनर्संरचना पैकेज कार्यान्वित करना ताकि यह वाणिज्यिक आधार पर ऋण जुटाने में समर्थ हो सके। • स्थानीय सरकारी संस्थाओं को ऋण देने के लिए वित्त एजेंसी के रू में केरल रूरल एण्ड अर्बन डेवलपमेंट फायनान्स कार्पोरेशन की

अनुबंध 1 : राज्य बज़ट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	बीमा कार्यक्रम का कार्यान्वयन। ● राज्य योजना के अंतर्गत परियोजनाओं का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा उन परियोजनाओं के लिए निर्दिष्ट करना जो महिलाओं को सीधे लाभ पहुंचाती हैं।			संरचना करना। यह एजेंसी 2008-09 में काम करना प्रारंभ कर देगी। ● जेंडर बोर्ड स्थापित करना। ● अनिवासी भारतीयों के लिए एक कल्याण निधि प्रारंभ करना। ● लिंग संबंधी सांख्यिकीय आंकड़ों की प्रणाली जो वित्त विभाग द्वारा बनाई जायेगी। अगले वर्ष से बजट के साथ विधान परीषद ने प्रस्तुत किये जाने के लिए लिंग के प्रभाव पर विशेष विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।
14. मध्य प्रदेश	● 254 बालिका होस्टलों का निर्माण करना तथा 438 मिडल स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें हायस्कूल बनाना। ● शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए 38 जिलों में "उत्कृष्टता महाविद्यालय" प्रारंभ करना। ● जनता के सहभागिता से मिडिकल और नर्सिंग कॉलेज स्थापित करना। ● दुर्बल वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति प्रारंभ करना। ● आदिवासी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए योजना प्रारंभ करना।	● अल्पवधि कृषि ऋणों पर ब्याज की दर 7 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना। ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई पर दिये जानेवाले अनुदान की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करना। ● क़िसानों को कृषि पण्यों के संबंध में अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने के लिए कम्प्यूटरीकरण के नेटवर्क का 64 कृषि मण्डियों तक विस्तार। ● पीपीपी के माध्यम से राज्य की सड़कों का नेटवर्क विकसित करने पर जोर।	● एक वेतन आयोग गठित करना जो 31 दिसंबर 2008 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ● असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए एक अंशदायी पेंशन योजना प्रारंभ करना। ● एक निधि गठित करना जो बैंकों के शैक्षिक ऋणों के लिए गारंटी के रूप में कार्य करेगी।	● पंचायतों के लिए एक अलग निदेशालय गठित करना और उनकी स्वतंत्र लेखा परीक्षा करवाना ताकि पंचायती राज प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जा सके। ● शत प्रतिशत वित्तीय समावेशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करना। विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत किये जानेवाले भुगतान बैंकों के माध्यम से खातों में सीधे जमा किये जाएंगे।

अनुबंध 1 : राज्य बज़ट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
15. महाराष्ट्र	● बेरोजगार युवकों के लिए अल्पावधि के कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना और उन्हें रोजगार के अवसर पर उपलब्ध कराना। ● निम्न आय समूह और मध्य आय समूह के परिवारों के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 10 लाख मकान का निर्माण जो अगले दो वर्ष में पूरा हो जाएगा। ● एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से ऐसी व्यवस्था बनाना ऐसे छात्र बैंकों से शैक्षिक ऋण प्राप्त कर सके। ऐसे छात्रों द्वारा लिये गये शैक्षणिक ऋणों पर ब्याज भार की साझेदारी।	–	–	● नकद प्रवाह प्रणाली को सुधारने पर लक्ष्यित कम्प्यूटरीकृत बज़ट वितरण प्रणाली का कार्यान्वियन।
16. मणिपुर	–	–	● उन सस्थाओं द्वारा जो राज्य सरकार की गारंटी की बिना पर ऋण लेना चाहती है उनके लिए निर्दिष्ट मानदंड पूरे करने हेतु मणिपुर सरकारी गारंटीयों पर उच्चतम सीमा अधिनियम, 2004 को संशोधित करने के लिए एक विधेयक लाना। गारंटी मोचन निधि और समेकित ऋण शोधन निधि गठित करना। ● खज़ानों को स्वचालित बनाने के लिए 2008-09 के दौरान शेष 6 खज़ाना कार्यालयों को कवर करना और बजट निर्माण तथा व्यय नियंत्रण प्रणालियों को ज्यादा कारगर बनाना।	–

अनुबंध 1 : राज्य बज़ट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
17. मेघालय	● कवर न किये गये, आंशिक रूप से कवर किये गये तथा जल गुणवत्ता (लौह) से प्रभावित बस्तीयों को सुरक्षित पेय जल की आपूर्ति करना। ● मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जिसके अंतर्गत वर्तमान में सभी प्राथमिक विद्यालय तथा 9 शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकास खंडों के उच्चतर प्राथमिक विद्यालय कवर हैं, को बढ़ाया जाएगा ताकि सभी उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों को कवर किया जा सके। ● शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर और विशिष्ट सेवाएं प्रदान करना। कारगर परामर्श प्रणालियां रखने के लिए शहरी स्वास्थ्य सुविधाओं का विकेंद्रीकरण किया जाए और द्वितीयक स्वास्थ्य संस्थाओं में भीड़ कम की जा सके। ● पीपीपी के मोड में शिलांग में एक भारतीय सूचना प्राद्योगिकी संस्थान स्थापित करने के कार्य का अनुसरण।	● अप्पर शिलांग हेलीपैड का निर्माण; उमरोई हवाई अड्डे का कोटि उन्नयन प्रारंभ करना। ● पांच नये 'हार्टी-हब' स्थापित करना। ● पूंजी के उचित आवेष्टन, सुधार उपायों और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सहकारी ऋण ढांचे का पुनरुज्जीवन। ● उन्नत किस्म के पशुधन की उपलब्धता,नए सुअरबाड़ों और पशु फार्मों की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवाओं का पेशेवर बनाना और शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना। ● पीपीपी के अंतर्गत नए शिलांग में एक सूचना प्रौद्योगिकी इस्टेट स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाना।	–	● विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों मे संलग्न गैर सरकारी संगठनों को समर्थन देने के लिए वित्तीय सहायता देना।
18. मिजोरम	–	● भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच 50:50 के साझे के आधार पर राष्ट्रीय बीमा योजना कार्यान्वित की जाएगी। ● सूचना प्रौद्योगिकी का एक अलग विभाग सृजित करना।	–	–

अनुबंध 1 : राज्य बज़ट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
19. नागालैण्ड	• स्वास्थ्य सेवा प्रदाता प्रणाली के उन्नयन और आधुनिकीकरण के मूल उद्देश्य के साथ बुनियादी संरचना के सुधार और श्रमशक्ति बढ़ाने पर फोकस।	• सभी जिलों मे नई सड़कों के सुधार और निर्माण, जिला प्रशासन के लिए आवासीय क्वार्टरों का निर्माण पर फोकस; छोटे और मझोले आकार के कसबों में बुनियादी सुविधा का निर्माण, भूमि क्षतिपूर्ति हेतु अधिक निधियां एक ओर रखना ताकि केंद्र और बाह्य एजेंसियों से निधीयन प्राप्त बड़ी परियोजनाओं का कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के प्रारंभ किया जा सके। • लोड क्षमता बढ़ाने और पारेषण हानि न्यूनतम रखने के लिए विद्युत पारेषण प्रणालियों को सुधारना।	–	–
20. उड़ीसा	• स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य बुनियादी संरचना की गुणवत्ता सुधारना। • स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का विकास। • शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति तथा सफाई में सुधार। • संसाधनों का इष्टतम उपयोग और स्वरोजगार पैदा करना। • ग्रामीण क्षेत्रों के उन गरीब लोगों के लिए जो इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता का लाभ ले पाने से	• बुनियादी सुविधा विकास हेतु पूंजी निवेश बढ़ाना। • सिंचाई का विकास और विस्तार। • राज्य में खनिज आधारित उद्योगों का विकास। • व्यापक सिंचाई कार्यक्रम पर जोर। • हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान।	–	• परिव्यय में प्राथमिकताएं देकर अपूर्ण परियोजनाओं को पुरा करना। • सरकारी भवनों, सड़कों, पुलों और जल आपूर्ति योजनाओं, आदि के लिए अधिक निधियां आबंटित करना।

अनुबंध 1 : राज्य बज़ट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	वंचित हैं, के लिए एक नया आवास कार्यक्रम। • बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार पैदा करने पर जोर। • मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।			
21. पंजाब	• शिक्षा, स्वास्थ्य और समाजकल्याण के क्षेत्र में गतिवधियों के लिए निधियों का सरल प्रभाव सुगम बनाने हेतु 'पंजाब राज्य विकास निधि' का सृजन। • गरीबी की जीवन रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए जीवन बीमा निगम के माध्यम से दुर्घटना में होनेवाली मृत्यु के लिए 75,000 हजार रुपए की बीमा सुरक्षा और नैसर्गिक मृत्यु के लिए 30,000 हजार रुपए की बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु जनश्री बीमा योजना प्रारंभ करना।	• बिजली उत्पादन और पारेषण उन्नयन की दिशा में प्रमुख जोर के साथ ऊर्जा क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता। • राज्य सरकार से 50 प्रतिशत की सहायता से हानिग्रस्त दुग्ध संघों को पुनरुज्जीवित करना। • सिंचाई विकास कार्यक्रम जिसका लक्ष्य मौजूदा नहर प्रणालियों का पुनर्निर्माण, नयी छोटी नहरें बनाना, पुराने वाटर चैनलों की लाइनिंग और नये वाटर चैनलों के निर्माण के साथ-साथ बाढ़ निरोधक एवं जल भराव निरोधक कार्य। • औद्योगिकी बुनियादी सुविधा उन्नयन हेतु एक नयी योजना।	–	–
22. राजस्थान	• उत्कृष्टता केंद्र के रूप में 22 सरकारी और 12 निजी महाविद्यालयों का विकास। • 2008-09 में 3108, उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों का उन्नयन करके माध्यमिक विद्यालय बनाना। शेष बची सभी पंचायतों में पीपीपी के योजना के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय खोलना।	• गरीबी की रेखा के नीचे रहनेवाले और अन्य गरीबों तथा सीमांत परिवारों के लिए वित्तीय सशक्तीकरण प्रारंभ करना। • बेरोजगार पशुचिकित्सों को प्रोत्साहन देना तथा अपना दवाखाना खोलने के लिए पशुधन सहायता उपलब्ध कराना।	• खज़ानों का कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रारंभ करना। • मनोरंजन कर को घटाकर 30 प्रतिशत करना। • चल संपत्तियों पर स्टॉम्प शुल्क समाप्त। • उन सहकारियों समितियों के सभी उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी देना जिन्होंने 5 वर्ष से भी	• अजमेर में महिला हाकी अकादमी स्थापित करना। • राज्य व्यापी राजस्थान स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (आरएजेएसडब्ल्यूएएन) स्थापित करना। • पहले तीन पिछड़े जिलों जहां कोई भी बड़ी परियोजना नहीं है, में

अनुबंध 1 : राज्य बज़ट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	• 6608 माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करना। • 2008-09 में एक से लेकर 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। • उन सरकारी स्कूलों जिसके छात्र राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति के लिए चुने जाते है, को 50,000 हजार रुपए देकर और वे स्कूल जिनके छात्र आइआइटी, आइआइएम और एआइआइएमएस में चुने जाते हैं, को एक लाख रुपए प्रदान करके सरकारी स्कूलों को शिक्षा का स्तर प्रोन्नत करने के लिए प्रोत्साहित करना। • 2008-09 से राज्य के सभी 33 जिला मुख्यालयों में सरकारी स्कूलों के 10 लाख छात्रों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना। • 40 नये आयुर्वेद अस्पतालों, 7 नयी मोबाईल आयुर्वेद यूनिटें खोली जायेगी और 7 आयुर्वेद अस्पतालों को प्रोन्नत करके "ए" ग्रेड अस्पताल बनाया जाएगा। • पीपीपी मोड के अंतर्गत भरतपुर में एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करना। • 9 जिला अस्पतालों में पीपीपी मोड में 'आइसीयू' स्थापित करना। • जीविका संबंधी राजस्थान मिशन के अंतर्गत 8वीं पास अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के 2 लाख छात्रों को प्रशिक्षण देने की एकलव्य योजना।	• सामान्य क्षेत्रों के 250 से 499 के बीच की आबादी वाले गांवों और रेगिस्तानी तथा आदिवासी क्षेत्रों के सभी गांवों के बीच सभी शेष ग्रामों में सड़क संपर्क उपलब्ध कराना। • बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए "पैलेस ऑन व्हील्स" की तर्ज पर "रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स" नामक एक नयी रेल पर्यटन सेवा प्रारंभ करना। • बनाओ-चलाओ-हस्तांतरित करो (बीओटी) आधार पर परियोजनाएं प्रारंभ करके पानी का पुनः उपयोग बढ़ाना। • वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से परिवार के महिला सदस्य के नाम पर स्मार्ट कार्ड सहित बैंक खातो खोलने पर स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कवर किये गये सभी परिवारों को 1500 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करना।	अधिक समय से भी कोई चूक नहीं की है।	500 करोड़ रुपए से अधिक निजी निवेश हेतु विशेष रूप से बनाया गया प्रोत्साहन पैकेज।

अनुबंध 1 : राज्य बज़ट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	• पीपीपी मोड के अंतर्गत वृद्धाश्रमों हेतु चिरायु योजना प्रारंभ करना। • गरीबी की रेखा के नीचे रहनेवाले परिवारों के लिए 10 रुपए प्रति दिन पर अपने मालिकाना हकवाला मकान उपलब्ध कराने के लिए अभिनव घरौंदा योजना।			
23. सिक्किम	• ग्रामीण आवास निर्माण हेतु 3 लाख रुपए प्रति मकान की दर से मुख्य मंत्री आवास योजना प्रारंभ करना। • गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार के दो सदस्यों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। • सिक्किम निर्माण परियोजना करना जो मूल रूप से अधिक आय और ग्रामीण सिक्किम में रोज़गार के अवसर पैदा करने पर केंद्रित रहेगा। • विद्यालयों का अध्ययन करके सुधारों के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय आयोग। • महाविद्यालयों में प्रवेश तथा छात्रों को होस्टल सुविधा सहित अन्य सुविधाएं देने के संबंध में सिक्किम को पूर्वोत्तर राज्यों के साथ शामिल करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय तथा दिल्ली प्रशासन से बात करना। • विशेष रूप से सिक्किम के संबंध में नीतिगत अनुसंधान प्रारंभ करने हेतु सिक्किम विश्वविद्यालय को 50 लाख रुपए का प्रारंभिक अनुदान देना।	• उत्पादकता का स्तर बढ़ाने के लिये फार्म प्रौद्योगिकी का अंतरण, अधिक फसल देने वाली किस्मों का अंगीकरण,कार्बनिक निविष्टियों का प्रयोग, आदि सहित उपायों के एक पैकेज का कार्यान्वयन। • बेमौसमी सब्जियों की खेती शुरू करने के लिये प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 100 ग्रीन हाऊसों का निर्माण। • 2008-09 के दौरान प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 50 गायें वितरित करना। • ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न सांस्कृतिक धरोहरों और यात्रा केंद्रों के लिये नयी सड़के बनाने और पुरानी सड़कों की मरम्मत के लिये निधियाँ देना।	–	• किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में परिर्वतन और प्रगति लाने के लिये गैर सरकारी संगठनों को देने हेतु 20 लाख रुपये की स्वैच्छिक कार्रवाई निधि निधि का सृजन। • राज्य में 50 लाख रुपये की मीडिया विकास निधि गठित करना जो प्रशिक्षण, कौशल निर्माण, भारत और विदेश में कहीं भी सम्मेलनों और कार्यशालाओं में भाग लेने के लिये किसी भी सम्माननीय मीडियाकर्मी द्वारा एक्सेस की जा सकती हैं। • मुख्य सचिव की अगवाई में एक उच्चस्तिरीय समिति गठित करना जो मीडियाकर्मी के लिये न्यूनतम मजदूरी तथा उससे संबंधित भविष्य निधि के प्रावधानों से संबंधित मुद्दों की जांच करेगी। • राज्य में क्षमता निर्माण का एक पूर्ण संस्थान स्थापित करना।

अनुबंध 1 : राज्य बज़ट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	• सुदूर क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के VIIIवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म उपलब्ध कराना। • सभी चार जिलों के ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्कूलों की मरम्मत और रखरखाव का कार्य प्रारंभ करना। • राज्य में नदी के किनारे बसे और रहनेवाले लोगों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं से निपटने के लिये एक सामाजिक-आर्थिक रणनीति चलाना। नदी मार्ग विकास परियोजना निधि (आरसीडीपी) के रूप में 50 लाख रुपये का प्रावधान।			
24. तमिलनाडु	• 100 मिडल स्कूलों को हायस्कूल बनाना और 100 हायस्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल बनाना। • शेष 100 सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों और 606 सरकारी हायस्कूलों को कम्प्यूटर प्रदान करना इसके अलावा, प्रथम चरण में 6650 मिडिल स्कूलों में से, जो सरकार और स्थानिय निकायों के हैं, 2200 मिडिल स्कूलों को कम्प्यूटर देना। • सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पूरी तरह से निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। • अण्णा विश्वविद्यालय के माध्यम से पांच नये इंजिनियरिंग कॉलेज स्थापित करना।	• 2008-09 के दौरान 1500 करोड़ों रुपए तक नये फसल ऋण संवितरित करना। फसल ऋणों पर ब्याज की दर 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करना। • 25 लाख किसानों को उनकी फसल का बीमा कराने के लिए वित्तीय सहायता देना। • प्रिसिज़न फार्मिंग का विस्तार, जो एक ओर जल का उपभोग घटाता है, वहीं दूसरी ओर कृषि उत्पादन बढ़ाता है, को राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में ले जाना। • राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को मशीनरी	–	• 5 जिलों में जिला कलेक्टर कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण हेतु ई-जिला कार्यक्रम कार्यान्वित करना। यह ई-अभिशासन (गवर्नेंस) तीन मुख्य विभागों यथा खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, वाणिज्यि कर विभाग और खजाना विभाग में लागू किया जाएगा। • आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के उन लोगों के लिए जो शहरी और तालुका सहकारी आवास समितियों से लिया गया आवास ऋण नहीं चुका सकते हैं, ऐसे लोगों के रु. 25,000/- तक आवास ऋण के बकाया से संबंधित सभी देय माफ़ करना।

अनुबंध 1 : राज्य बज़ट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	• दो नये मेडिकल कॉलेज स्थापित करना। • केंद्र की सहायता से प्राकृतिक आपदाओं और बडी दुर्घटनाओं के दौरान प्रभावित ढेर सारे लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। • निम्न आय समूहों, मध्य आय समूहों और सरकारी कर्मचारियों को शहरों के आसपास वाले क्षेत्रों में तमिललनाडु हाऊसिंग बोर्ड के माध्यम से 22000 मकानों का निर्माण करना।	खरीदने और उसका उपयोग करने के लिए 25 प्रतिशत सब्सिडी देना। कृषि मशीनरी और उपकरण निर्माता उद्यमियों जरूरी रियायतें दी जाएंगी। • 10,000 स्वयं सहायता समूहों का निर्माण जिसमें एक लाख किसान होंगे तथा जिन्होंने प्राथमिक कृषि सहकारी बैंकों से ऋण लिया हुआ है। इन समूहों को सहकारी बैंकों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए की चक्रीय निधि की सहायता दी जाएगी। • सभी किसनों को मुफ्त बिजली देने की योजना जारी रहेगी। • एक नयी योजना कार्यान्वित करना जिसके द्वारा 10,000 वर्ण संकर दुधारू पशु महिला स्वयं सहायता समूहों को दिये जाएंगे। यह योजना राज्य के उन 200 ग्रामों में कार्यान्वित की जाएगी जो दुग्धोत्पादन के लिए ठीक हैं और इससे 5,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी। • राज्य के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों (क) इंजिनियरिंग मालों का परिवहन (ख) आटोमोबाईल और आटो स्पेअर पार्ट्स,(ग) इंजिनियरिंग माल और (घ) चमड़ा क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करना।		• 2008-09 में 4 लाख महिला सदस्यों वाले 25 हजार नये स्वयं सहायता समूह बनाना। इन स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधि में लगाकर लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उनके लिए 150 करोड़ रुपये की एक चक्रीय निधि उपलब्ध करायी जाएगी।

अनुबंध 1 : राज्य बज़ट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
		• राज्य में विद्युत पारेषण और वितरण ढांचे में सुधार लाने के लिए 90 नये उप विद्युत केन्द्रों की स्थापना करना। • तमिलनाडु शहरी सड़क विकास परियोजना कार्यान्वित करना जिसमें नगर निगमों और नगरपालिकाओं की सभी सड़कों, पेवमेंट, स्टार्म वाटर ड्रेनेज में सुधार और उसके नीचे पाईप बिछाने के लिए प्रावधान शामिल है। • चेन्नै के जलमार्गों के किनारों के ऊपर एक द्रुतगति परिवहन कॉरिडोर का निर्माण करना जो चेन्नै बायपास मार्ग से जोड़ा जाएगा। • छोटे व्यापारियों को स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित करना और उन्हें सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करना।		
25. त्रिपुरा	• एक पशुचिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करना। • 376 नये प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना। • 118 प्राथमिक विद्यालयों का कोटि उन्नयन करके उच्चतर प्राथमिक विद्यालय बनाना। • कक्ष I से VIII वीं तक के लगभग 4 लाख छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देना। • 3 नये पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित करना।	• कृषि उत्पन्नों के उत्पादकों और व्यापारियों के बीच संपर्क सूत्र स्थापित करने के लिए बाजार बुनियादी सुविधा विकसित करना। • प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की पुनर्संरचित योजना कार्यान्वित करना राज्य बांस मिशन के अंतर्गत क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम समेकित करना और उसे आगे बढ़ाना। • फलों की फसल, सर्दियों में पैदा होनेवाली सब्जियां, शुष्क भूमि	–	• राज्य भूमि उपयोग बोर्ड में नवप्राण फूंकना।

अनुबंध 1 : राज्य बज़ट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	• 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 2 शिशु स्वास्थ्य केंद्र, 60 स्वास्थ्य उप-केंद्र और 5 होमियोपैथिक औषधालय स्थापित करना। • 2 उप-संभागीय चिकित्सालयों की स्थापना। • 2 अपघात चिकित्सा केंद्रों की स्थापना।	बागवानी और कृषि वन क्षेत्र का विस्तार; वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर/ तालाब/ जलाशयों का निर्माण। • प्रशिक्षण और विज्ञापन के माध्यम से आधुनिकी प्रौद्योगिकी अंतरण कार्यक्रम के अंतर्गत 10,224 किसानों/ उत्पादकों को कवर करना। • 65 बड़े और मझौले पुलों तथा 125 स्लैब/बॉक्स पुलियों का निर्माण।		
26. उत्तराखंड	• बालिकाओं के लिए होस्टलों का निर्माण और कस्तूरबा गांधी आवासीय बलिका विद्यालय को मैट्रिक स्तर तक करना। • राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी कार्यक्रम का सभी जिलों तक विस्तार। • पीपीपी पद्धति के माध्यम से झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले करीब 450 बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करना। • मध्याह्न भोजन योजना का 8वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों तक विस्तार। • पीपीपी व्यवस्था के अंतर्गत सभी आपात स्थितियों में एम्बुलेन्स सेवा की व्यवस्था की जाएगी। • गरीबी की रेखा के नीचे रहनेवाले सभी परिवारों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की जाएगी। ऐसे परिवारों के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर 30,000 रुपए	• पर्वतीय और सुदूर क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक बृहद औद्योगिक प्रोत्साहन योजना, 2008। • सरकारी परियोजनाओं को त्वरित और प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए "उत्तराखंड बुनियादी संरचना विकास निगम" गठित करना।	• दक्ष राजकोषीय और नकदी प्रबंधन हेतु सभी कोषागारों को परस्पर जोड़ा जाएगा।	• निजी निवेश को बढ़ावा देने तथा बेहतर निर्णय के लिए योजना विभाग में पीपीपी कक्ष का गठन करना। • जेंडर बज़टिंग का कवरेज 18 विभागों से बढ़ाकर 20 विभागों तक करना।

अनुबंध 1 : राज्य बज़ट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	तक का उपचार और ऐसे परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 25,000 रुपए की बीमा राशि दी जाएगी। ● सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए "स्मार्ट कार्ड" के माध्यम से बिना नकदी वाली चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना प्रारंभ की जाएगी।			
27. उत्तर प्रदेश	● वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन योजना की श्रेणी में 28 लाख नये पेंशन भोगियों को शामिल करना। ● असंगठित क्षेत्र कामगारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ करना। ● पीपीपी आधार पर विकलांग व्यक्तियों के लिए एक विश्व विद्यालय स्थापित करना। ● 2008-09 के दौरान पूरे राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कार्यान्वित की जाएगी। ● बेघर गरीब परिवारों को मकान दिये जाएंगे। ● 2500 नये प्राइमरी स्कूल, 4000 नये सीनियर प्राइमरी स्कूल खोलना तथा बच्चों को बैठने के लिए 15000 अतिरिक्त क्लास रूमों की व्यवस्था करना। ● स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 3900 शिक्षा गारंटी केंद्र, 5000 'वैकल्पिक	● पीपीपी आधार पर आठ रास्तों वाला गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण। ● पीपीपी आधार पर चार अन्य महत्त्वपूर्ण लिंक एक्सप्रेस वे निर्मित करना। ● पीपीपी आधार पर लखनऊ शहर के लिए उच्च स्तरीय बुनियादी सुविधाएं विकसित करना। ● एक लाख से कम आबादी वाले छोटे और मध्यम कस्बों, जिन्हें शहरी बुनियादी संरचना विकास हेतु जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत नहीं कवर किया गया है,के लिए एक नयी योजना "आदर्श नगर योजना" प्रारंभ की गयी है। ● राज्य में दुग्धोत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए डॉ.आंबेडकर डेयरी स्व-रोज़गार योजना प्रारभ करना।	● बुंदेलखंड के सभी सातों जिलों के किसानों के कृषि बैंक ऋणों पर संचित ब्याज माफ करना। ● शहरी निकायों के विकास कार्य हेतु "मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी विकास योजना" के अंतर्गत ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना।	● शहरों का सुनियोजित एवं सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए "मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना" प्रारंभ करना।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	नवचारी शिक्षा केंद्र', 800 आवासीय संक्षिप्त पाठ्यक्रम और 2000 गैर आवासीय संक्षिप्त पाठ्यक्रम खोलना। ● ऐसे विकास खंडों में जहां कोई भी बालिका हाईस्कूल/इंटर कॉलेज नहीं है वहां बलिका शिक्षा के प्रसार हेतु 30 नये सरकारी बालिका विद्यालयों का निर्माण करना। ● उन बच्चों के लिए जो किसी ने किसी कारणवश अपनी शिक्षा बीच में ही अधूरी छोड़ देते हैं, उनको सेकेंडरी शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य खुला विद्यालय बोर्ड गठित करना। ● राज्य के सात स्वायत्त इंजिनिरिंग संस्थाओं में बुनियादी सुविधा के विकास हेतु नयी योजनाएं तथा तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से नये सरकारी पालीटेक्निक खोलने उसमें हॉस्टेल का निर्माण करना और उन्हें मजबूत बनाने के लिए नयी योजनाएं। ● छत्रपति शाहू जी महाराज मेडिकल युनिवर्सिटी को सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स के रूप में विकसित करना। ● गोरखपुर और अलीगढ़ में दो नये होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करना।	● 82000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु 2008-09 में 6500 नये ग्राम उद्योग स्थापित करना। ● बुंदेलखंड क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रारंभ करना। ● बुनियादी संरचना विकास हेतु पांच महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं तय की गयी है जिसमें कृषकों का सशक्तिकरण, ऊर्जा क्षेत्र का विकास, शहरी पुनरुद्धार, उत्तम परिवहन प्रणाली और निजी निवेशकों की अधिक से अधिक सहायता के साथ विश्वस्तरीय बुनियादी सड़क संरचना विकसित करना शामिल है। ● बुंदेलखंड क्षेत्र में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करना।		

अनुबंध 1 : राज्य बज़ट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
28. पश्चिम बंगाल	• गरीब किसानों को खेती करने और मकान बनाने के लिए मुफ्त जमीन वितरित करने की योजना के अंतर्गत राज्य सरकार वितरित की गयी भूमि के विकास तथा मकानों के निर्माण की लागत वहन करेगी। • उन क्षेत्रों में जहां अल्पसंख्यक समुदायों की बहुलता, 1000 प्राइमरी स्कूलों, 1000 जूनियर हाईस्कूलों और 200 जूनियर हाय मदरसा, 200 शिशु शिक्षा केद्र और 300 माध्यमिक शिक्षा केंद्र स्थापित करना। • अतिरिक्त 500 हाईस्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल बनाना तथा 100 मदरसों को हाई मदरसा के रूप में प्रोन्नत करना। • इस उद्देश्य से कि गरीब परिवारों से आने वाली छात्राएं सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्तर की शिक्षा में मुकाबला कर सकें। गरीब परिवारों से आनेवाली छात्राओं को 100 प्रति माह की दर से वित्तीय सहायता देने की योजना प्रारंभ करना। • रोजगार उन्मुख शिक्षा पर फोकस के साथ 22 नये कॉलेजों की स्थापना करना।	• 20 जैव-ग्रामों की स्थापना करना। • स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पण्यों की सरकारी खरीद करने और सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को आपूर्ति करने के लिए एक नया विपणन निगम स्थापित करना। • उद्योग स्थापित करने से भूमिहीन लोगों को रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने तथा अन्य आवश्यक तरीकों से उनकी सहायता करने के लिए 100 करोड़ रुपए की विशेष सहायता निधि सृजित करना।	• पश्चिम बंगाल मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 में आवश्यक संशोधनों के माध्यम से धन वापसी की प्रक्रिया को सरल बनाना। • भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए वर्तमान भविष्य निधि योजना में सरकार का अंशदान बढ़ाना। • केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के अधीन लंबित पड़े मामलों को निपटान आयोग क्षेत्राधिकार में लाकर इसकी व्याप्ति बढ़ाना। • पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिनियम, 1994, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 और अन्य निरस्त नियमों के अंतर्गत लंबित पड़े सभी मामलों के लिए विवादों के एक बारगी निपटान की संशोधित योजना। • व्यापारियों द्वारा स्व-विकल्प पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से करके भुगतान हेतु सुविधा प्रारंभ करना। • पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटलों पर विलासिता कर की दर घटाना।	–

अनुबंध 1 : राज्य बज़ट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
29. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	• सभी कम सुविधावाले (सब स्टैंडर्ड) क्षेत्रों के विकास हेतु दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड गठित करना। • गैर स्कूलों में भी फ्रीशिप कोटा के अंतर्गत प्रवेश पाये हुए छात्रों को युनिफॉर्म सब्सिडी और पुस्तकों के लिए नकद भुगतान योजनाएं लागू करना। • दूरस्थ शिक्षा और निरंतर शिक्षा के माध्यम से तकनीकी शिक्षा हेतु अवसरों में वृद्धि करने के लिए दिल्ली ज्ञान विकास फाऊंडेशन गठित करना। • राष्ट्रीय विधि विश्व विद्यालय की स्थापना करना। • योग्यता एवं आय आधार पर संस्थाओं में प्रवेश पाये हुए सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति निधि सृजित करना। • लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यिक व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना प्रारंभ करना। • अप्रैल 2008 से विकलांग व्यक्तियों को दिये जानेवाले बेरोजगारी भत्ते की राशि 600 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए करना। • सामाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं का	–	• सर्वाधिक उपयोग से इतर महीनों और सर्वाधिक उपयोग वाले महीनों में क्रमश: 150 और 300 यूनिट प्रतिमाह खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट रु. 1/- की सब्सिडी देना। • छात्रों को स्कूल यूनिफार्म सब्सिडी रु. 300/- से बढ़ाकर रु. 500/- करना। • वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अप्रैल 2008 से लागू करके वरिष्ठ नागरिकों और विधवाओं की मासिक पेंशन रु. 600/- से बढ़ाकर रु. 1000/- मासिक करना। • आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को मिलनेवाला राज्य का हिस्सा रु. 500/- से बढ़ाकर रु. 1000/- करना ताकि आंगवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को रु. 2500/- प्रति माह का कुल मानदेय मिल सके।	–

अनुबंध 1 : राज्य बज़ट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	कार्य सरल बनाना। आय सीमाओं को बढ़ाकर ‘समाज कल्याण पात्रता’ के मानदंड पुनःपरिभाषित करना।			
30. पुदुचेरी	• प्रसव पूर्व, नीओ नैटल और प्रसवोपरांत शिशु देखभाल तथा शत प्रतिशत अस्पताल में प्रसव कराना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिला एवं बाल चिकित्सालय को सुदृढ़ बनाना। • काल सेंटरों और बीपीओ संस्थाओं में बेहतर नियोजन के अवसरों हेतु महिलाओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना। • विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित की जानेवाली हिताधिकारी उन्मुख योजनाओं में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण करना।	• महिला स्वयं सहायता समूहों की तर्ज पर अगले वित्त वर्ष के दौरान कृषक स्वयं सहायता समूह का निर्माण ये स्वयं सहायता समूह प्रिसिसन फार्मिंग, धान सघनीकरण पद्धति के माध्यम से धान की खेती, जैव-खेती, मशरूम खेती, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन दुग्धोत्पादन और कुक्कुट पालन और ग्रामीण गोदामों के निर्माण कार्यों में लिप्त होंगे। • कृषि ऋण जारी करने के प्रक्रिया सरल बनाना ताकि छोटे और सीमांत किसानों को तेजी से ऋण मिल सके। • ग्राम सहकारी कृषि ऋण समितियों द्वारा कृषि ऋणों पर वसूले जानेवाले ब्याज की दर 7 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करना। • जापान अन्य एशियाई देशों की ‘एक ग्राम एक उत्पाद’ पद्धति की तर्ज पर हस्तशिल्प वस्तुओं का उत्पादन विकसित करना। • कृषि एवं पशुपालन जैसे विभागों के माध्यम से	–	• सरकार में पहले से ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया प्रारंभ करना। • प्रशासन में परदर्शिता लाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में ई-गवर्नेन्स कार्यान्वित करना। • जेएनएनयूआरएम योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वियन हेतु विभिन्न विभागों से तकनीकी लोगों को लेकर एक विशेष ‘मिशन महानिदेशालय’ बनाना। पुदुचेरी प्लानिंग अथॉरिटी को अपग्रेड करना और उसका नाम बदलकर ‘पुदुचेरी प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी’ करना ताकि यह पुदुचेरी के शहरी क्षेत्रों के दीर्घावधि विकास को कवर करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर सके।

अनुबंध 1 : राज्य बज़ट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(समाप्त)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
		आमदनी पैदा करने वाली विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करके गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की आमदनी बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना। ● रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए टेक्सटाईल पार्क स्थापित करना।		

स्रोत: राज्य सरकारों के बज़ट दस्तावेज़।